विवरण

आदिवासी उप-योजनाओं वाले राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 1977-78 में आश्रम स्कूल के बारे में अनुमानित परिव्यय

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	राशि (रुपये लाख में)
1. आन्ध्र प्रदेश	174.14
2. असम	कोई आश्रम स्कूल नहीं है।
3. बिहार	42.00
4. गुजरात	121.00
5. हिमाचल प्रदेश	1.45
6. कर्नाटक	22.45
7. केरल	15.44
8. मध्य प्रदेश	16.60
9. महाराष्ट्र	230.52
10. मणिपुर	6.85
11. उड़ीसा	81.71
12. राजस्थान	15.10
13. तमिल नाडु	6.34
14. त्रिपुरा	कोई आश्रम स्कूल नहीं है।
15. उत्तर प्रदेश	17.73
16. पश्चिम बंगाल	6.90*
संघ शासित क्षेत्र	
17. अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	कोई आश्रम स्कूल नहीं है।
18. गोवा, दमण व दीव	5.00

* अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए।

अखिल भारतीय इन्जीनियरिंग सेवा

2687. **श्री मीठालाल पटेल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंजीनियरिंग को अखिल भारतीय सेवा घोषित करने का निर्णय ले लिया है अथवा लेने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख). अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 का अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय इंजीनियर सेवा के सृजन की व्यवस्था करने के लिए, सितम्बर, 1963 में संशोधन किया गया था।

2. उक्त सेवा को गठित करने के औपचारिक आदेश जारी नहीं किए जा सके थे क्योंकि असम, जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने, जो पहले इस सेवा में शामिल होने के लिए सहमत हो गई थीं, बाद में इसमें शामिल होने से इन्कार कर दिया। असहमत राज्य सरकारों को वृहत्त राष्ट्रीय हित में अपनी राय पर पुनर्विचार करने के लिए राजी करने के प्रयत्न जारी हैं। इन प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप, अब असम, हिमाचल प्रदेश, केरल तथा पश्चिम बंगाल की सरकारें इस सेवा को योजना में शामिल होने को सहमत हो गई हैं। परन्तु जम्मू तथा कश्मीर और तमिल नाडु की सरकारें पुनर्विचार करने के बाद भी इस योजना में शामिल न होने की अपनी पहले की राय पर ही कायम रहीं।

3. इस सेवा को औपचारिक रूप से गठित करने की कोई समय-सीमा निर्दिष्ट किया जाना इस समय कठिन है।